न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :– 11/2019

हरो बाई पुत्री फता सिंह पत्नि दिवान सिंह जाति रायसिख साकिन दुलापुरकेरी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर राज०

— **अपीलार्थी**

बनाम

ग्राम पंचायत दुलापुरकेरी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर राज०

–रेस्पोडेंटस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 26.09.2025

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सक्षेप में मामला इस प्रकार है कि अपीलांट माता समाबाई बेवा फत सिंह के नाम चक 6 सी बड़ी तह0 श्रीगंगानगर का मुरबा न0 7 में 25 बीघा रकबा में 1/4 हिस्सा समा बाई, 1/4 हिस्सा अपीलांट व 1/4 हिस्सा बलवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अपीलांट की माता समाबाई की मृत्यु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया भृतक समाबाई के हिस्सा हो गई थी जिसकी जायज वारिस अपीलांट भी अपीलांट ने एक का इंतकाल तस्दीक किया जाये जिस पर पटवारी व गिरदावर हलका द्वारा इंतकाल तस्दीक किया लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार पर इंतकाल अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया जिसकी अब अपीलांट को जानकारी दो रोज पूर्व हुई पता चलते ही नकल दरख्वास्त दी नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहे है जो निम्नलिखित बिन्दुओ के आधार पर पेश कर रहे है:–

1–यह कि हुकम अदालत मातहत का आदेश गैर कानूनी है वह दौबारा गौर मिसल के है नकल फैसला शामिल अपील हाजा है ।

2– यह कि समाबाई बेवा फता सिंह के नाम चक 6सी बड़ी का मुरबा न० 50 हाल 17 में 25 बीघा रकबा में से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था समाबाई का स्वर्गवास हो गया जिसकी जायज वारिस अपीलांट ही थी जिसका प्रमाण पत्र गांव दुलापुरकेरी द्वारा वारिसनामा जारी किया गया यह तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नही किया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है ।

3– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जो पारित किया गया है उसमें यह अंकित नही किया कि किस आधार पर इंतकाल अस्वीकृत किया जाता है इसलिए आदेश की परिभाषा में नही आता इसलिए भी आदेश निरस्त करने योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

4– यह कि समाबाई का केवल अपीलांट ही उसकी वारिस है इसके अलावा ओर कोई वारिस नही है तथा किसी वारिस द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

5– यह कि इस जमीन का किसी प्रकार से कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही था लेकिन इसके बावजूद भी इंतकाल अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकृत करके कानूनी भूल की है इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

6– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का अपीलांट को नोटिस नही दिया बिना अपीलांट को नोटिस दिये ही आदेश पारित किया गया है अपीलांट को साबूत व सुनवाई का मौका नही दिया गया इसलिए भी आदेश निरस्त करने योग्य है ।

7– यह कि अन्य वजूवाद वरवक्त बहस पेश किये जावेगे ।

8– यह कि अपील जनाबवाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है ।

9– यह कि अपील एक रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है

10–यह कि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया इस कारण अपीलांट को इस आदेश की जानकारी नही हो सकी अपीलांट औरत जात है तथा बीमार रहती है तथा वह चल फिरने में कठिनाई है दो तीन पहले पटवारी हलका के पास गयी तो पटवारी नही मिला दो रोज पहले पटवारी मिला तो उसने बताया कि आपका इंतकाल ग्राम पंचायत ने तस्दीक नहीं किया पता चलते ही नकल की दरख्वास्त दी नकल मिलते ही अपीलांट अपील पेश कर रही है इसलिए ईल्म से अपील अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि ग्राम पंचायत दुलापुरकेरी का आदेश दिनांक **09.06.2019 का निरस्त किया जावे** तथा इंतकाल अपीलांट के नाम दर्ज किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन रिकार्ड तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्टस ग्राम पंचायत दुल्लापुरकेरी द्वारा रिकॉर्ड पेश किया गया।

वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि अपीलांट माता समाबाई बेवा फत सिंह के नाम चक 6 सी बड़ी तह0 श्रीगंगानगर का मुरबा न0 7 में 25 बीघा रकबा में 1/4 हिस्सा समा बाई, 1/4 हिस्सा अपीलांट व 1/4 हिस्सा बलवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अपीलांट की माता समाबाई की मृत्यु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया भृतक समाबाई के हिस्सा हो गई थी जिसकी जायज वारिस अपीलांट भी अपीलांट ने एक का इंतकाल तस्दीक किया जाये जिस पर पटवारी व गिरदावर हलका द्वारा इंतकाल तस्दीक किया लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार पर इंतकाल अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया समाबाई बेवा फता सिंह के नाम चक 6 सी बड़ी का मुरबा न० 50 हाल 17 में 25 बीघा रकबा में से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था समाबाई का स्वर्गवास हो गया जिसकी जायज वारिस अपीलांट ही थी जिसका प्रमाण पत्र गांव दुलापुरकेरी द्वारा वारिसनामा जारी किया गया। यह तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधिनस्थ न्यायालय ने इस [illegible] अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत दुलापुरके[illegible] दिनांक 09.06.2019 का निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलार्थी की बहस [illegible] किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को [illegible]टिस नहीं दिया गया एवं न ही अपीलांट को साबूत व सुनवाई का मौका नही दिया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत दुलापुरकेरी का आदेश दिनांक 03.06.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(अपील प्रकरण संख्या :– 11/2019
अनवान हारो बाई बनाम ग्राम पं. दुलापुरकेरी

प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दुलापुरकेरी का आदेश दिनांक 03.06.2019 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को वास्ते अग्रिम कार्यवाही प्रेषित हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26.09.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner